17/07/20

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित।
तहसीलदार मुण्डावर के तथ्यात्मक रिपोर्ट/मौका रिपोर्ट पेश हुई। पत्रावली को वादी वकील से बहस सुनी गई। वादी का वाद को स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर तकमील से पेश कर पत्रावली जिला रेकर्ड मुण्डावर में शामिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
44/2022	21.03.2022	17.02.2026

बउनवान

1. उम्मेद सिंह पुत्र श्री मूलचन्द जाति अहीर निवासी भोजपुरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी वकील :– श्री बस्तीराम यादव

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख0 नं0 1 रकबा 0.96 है0, 2 रकबा 0.01 है0, 3 रकबा 0.89 है0, 32 रकबा 0.18 है0, 33 रकबा 0.57 है0, वाके ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिसका 1/2 भाग वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादी की खानदानी कब्जे काश्त की आराजी है वादी के पूर्वज मूलचन्द पुत्र रामनारायण 1/2 भाग के काबिज काश्तकार रहे है एवं 1/2 भाग पर मंगतू पुत्र गोरधन काबिज काश्त रहे है वादी के पिता एवं मंगतू पुत्र गोरधन आराजी पर अर्सा दराज से काबिज होकर बदस्तूर काश्त करते रहे है और उनकी फौतगी के बाद उन्ही के पदचिन्हों पर वादी एवं मंगतू के वारिसान सम्भाग में नियमित काबिज होकर काश्त कर रहे है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के पिता श्री मूलचन्द पुत्र रामनारायण एवं मंगतू पुत्र गोरधन बहिस्सा बराबर शिकमी आसामी के रूप में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 व जागीरदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम सन् 1959 के पूर्व से बेरोकटोक बहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और आज भी काबिज है।
4. यह है कि आराजी मुतनाजा के साबिक राजस्व रिकोर्ड में मूलचन्द पुत्र रामनारायण 1/2 साकिन देह मु0 10 वर्ष सम्वत 2015 की जमाबन्दी में अंकन हो रहा है। सम्वत 2015 में भूप्रबंध हुआ है उसके पश्चात के राजस्व रिकोर्ड में इसी प्रकार इन्द्राज होते रहे है। राजस्व रिकोर्ड सम्वत 2023 की जमाबन्दी में वादी के पिता मूलचन्द पुत्र रामनारायण, मंगतू पुत्र गोरधन अहीर साकिन देह सम्भाग साल 13 बकाश्त मंगतू पुत्र गोरधन अहीर साकिन देह गैरखातेदार साल 6 ख० नं0 1, 2 के बाबत इन्द्राज हो रहे है

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

एवं इसी सम्वत की जमाबन्दी में ख० नं0 29 व 30 में मंगतू वगैराह खाता नं0 43 बकाश्त मूलचन्द पुत्र रामनारायण अहीर साकिन देह गैरखातेदार का अंकन हो रहा है एवं साबिक जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2019 के ख० नं० 1 व 2 मंगतू पुत्र गोरधन, मूलचन्द पुत्र रामनारायण अहीर साकिन देह सम्भाग साल 9 बकाश्त मंगतू पुत्र गौरधन अहीर साकिन देह गैरखातेदार साल 2 अंकित है एवं ख0 नं0 29 व 30 के राजस्व रिकोर्ड में मंगतू वगैराह खाता नं0 44 बकाश्त मूलचन्द पुत्र रामनारायण अहीर साकिन देह गैरखातेदार साल 2 दर्ज हो रहा है।

5. यह है कि साबिक ख० नं0 1 व 2 से हाल ख० नं0 1, 2 व 3 व साबिक ख0 नं0 29 व 30 से हाल 32 व 33 भूप्रबंध विभाग सम्वत 2070 द्वारा पैमूद किये गये है। मिलान क्षेत्रफल संलग्न वाद पत्र है।
6. यह है कि आराजी मुतनाजा खानदानी है लेकिन प्रतिवादी सं० 1 एवं उनके अधिनस्थ कर्मचारियो के गैरजिम्मेदार रवैये के कारण राजस्व में फिजूल के इन्द्राजात शिकमी एवं गैरखातेदारी के चले आ रहे है। आराजी मुतनाजा कस्टोडियन लैण्ड नहीं रही है आराजी के साबिक राजस्व रिकोर्ड के मालिक वाले खाना 3 या 4 में मिलकियत सरकार का अंकन हो रहा है। इसी प्रकार कॉलम नं० 5 में काश्तकार वादी के पिता एवं दीगर सहखातेदार का नाम दर्ज रहा है। एवं ग्राम भोजपुरी में कभी भी कस्टोडियन रकबा नहीं रहा है। आराजी मुतनाजा भी कभी कस्टोडियन नहीं रही है। इसलिये उक्त विवादित आराजी बाबत खातेदारी की घोषणा न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकाराधीन है।
7. यह है कि आराजी मुतनाजा में ख० नं0 32, 33 में वादी एवं दीगर सहखातेदार गैरखातेदार दर्ज है एवं समस्त रकबे पर वादी के पिता मृतक मूलचन्द को बकाश्त के रूप में अंकित कर रखा है एवं इसी प्रकार आराजी ख0 नं0 1, 2 व 3 में वादी 1/2 एवं मंगतू का 1/2 भाग में गैरखातेदार के रूप में एवं इन खसरा नम्बर तीनो में मंगतू पुत्र गोरधन का बकाश्त किस्म की आसामी के रूप में शिकमी अंकित कर रखा है जबकि मूलचन्द व मंगतू अर्सा दराज पूर्व फौत हो चुके है जो बकाश्त व शिकमी काश्तकार के रूप में इन्द्राजात बेजा रूप से चले आ रहे है। जिससे वादी आराजी का सुविधाजनक रूप से विनिमय, विक्रय या बैंक ऋण की सुविधाओ से वंचित हो रहे है। आराजी मुतनाजा वादी की खानदानी है और आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे है। आराजी मुतनाजा में वादी के खातेदारी अधिकार सृजित हो गये है। इसलिये वादी आराजी मुतनाजा में गैरखातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन कराने व खातेदारी की घोषणा कराने को मुश्तहक है। अतः वाद वादी में विवादित आराजी हाल ख0 नं0 1 रकबा 0.96 है0, 2 रकबा 0.01 है0, 3 रकबा 0.89 है0, 32 रकबा 0.18 है0, 33 रकबा 0.57 है0, वाके ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर का वादी को 1/2 भाग का खातेदार घोषित किया जावे एवं उपरोक्त आराजीयात में गैरखातेदारी व मृतक मूलचन्द पुत्र रामनारायण व मंगतू पुत्र गोरधन के नाम बकाश्त व शिकमी के इन्द्राजात को कलमजन किये जाकर वादी के नाम 1/2 भाग पर खातेदारी का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे।
8. यह है कि आराजी मुतनाजा पर वादी शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है मौके पर कभी कोई विवाद नहीं रहा एवं ना ही वादी को कभी ऋण लेने

उपखण्ड अधिकारी

की आवश्यकता पडी इसलिये राजस्व रिकोर्ड वादी ने नहीं देखा अब किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज से ऋण की सुविधा की जानकारी होने पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतू अपने हल्का पटवारी से दिनांक 28/12/2021 को सम्पर्क किया और क्रेडिट कार्ड की फाईल तैयार करानी चाही तो जानकारी मिली की आराजी के राजस्व रिकोर्ड में बेजा इन्द्राजात गैरखातेदारी व बकाश्त व शिकमी के इन्द्राजात हो रहे है। इस पर वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त करने बाबत कहा तो प्रतिवादी ने राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त करने से साफ इंकार कर दिया इसलिये दावा हाजा करना लाजिमी आया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकर डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की फरमायी जावे कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 1 रकबा 0.96 है0, 2 रकबा 0.01 है0, 3 रकबा 0.89 है0, 32 रकबा 0.18 है0, 33 रकबा 0.57 है0, वाके ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर का वादी को 1/2 भाग का खातेदार घोषित किया जावे एवं उपरोक्त आराजीयात में गैरखातेदारी व मृतक मूलचन्द पुत्र रामनारायण व मंगतू पुत्र गोरधन के नाम बकाश्त व शिकमी के इन्द्राजात को कलमजन किये जाकूर वादी के नाम 1/2 भाग पर खातेदारी का अंकन किये जाने के आदेश फरमेष्टि जावे।

(ब) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2015–34, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2019, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत् 2023, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 किता–2, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2072–75, प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2071 पेश किया गया।

संक्षिप्त बहस वादी

1. वाद की प्रकृति

प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 89 के अन्तर्गत इश्तकारहक (Declaration of Khatedari Rights) मय दुरूस्ती इन्द्राज का वाद है। वादी विवादित भूमि में अपने 1/2 हिस्से पर खातेदारी अधिकार की घोषणा एवं राजस्व अभिलेखों में चल रहे बेजा इन्द्राजात हटाने की प्रार्थना कर रहा है।

2. खानदानी कब्जा एवं काश्त

विवादित आराजी ग्राम भोजपुरी, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर स्थित खसरा नं. 1 (0.96 हे.), 2 (0.01 हे.), 3 (0.89 हे.), 32 (0.18 हे.) व 33 (0.57 हे.) है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

यह निर्विवाद तथ्य है कि वादी के पूर्वज मूलचन्द पुत्र रामनारायण तथा मंगतू पुत्र गोरधन उक्त भूमि पर जागीरदारी उन्मूलन से पूर्व से निरंतर काबिज काश्तकार रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद वादी एवं मंगतू के वारिसान उसी प्रकार से शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं।

3. राजस्व अभिलेखों से पुष्टि
वादी द्वारा पेश प्रदर्श–1 से 5 (जमाबन्दियाँ सम्वत 2015, 2019, 2023 व 2072–75) स्पष्ट करती हैं कि मूलचन्द एवं मंगतू का नाम लगातार काश्तकार के रूप में दर्ज रहा है। भूमि कभी भी कस्टोडियन (सरकारी कब्जा) नहीं रही। केवल राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से "गैरखातेदार", "बकाश्त" व "शिकमी" के इन्द्राज चले आ रहे हैं।
अतः दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का कब्जा व काश्त पूर्णतः सिद्ध है।

4. कानूनी स्थिति
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति जागीर उन्मूलन से पूर्व से निरंतर भूमि पर काबिज काश्त करता रहा हो, वह स्वतः खातेदार काश्तकार बन जाता है।
यहाँ वादी का परिवार पीढ़ियों से काबिज है, इसलिए कानूनन खातेदारी अधिकार सृजित हो चुके हैं। राजस्व रिकॉर्ड केवल साक्ष्य है, अधिकार का स्रोत नहीं। गलत इन्द्राज से वास्तविक अधिकार समाप्त नहीं होते।

5. गलत इन्द्राज से हानि
गलत राजस्व इन्द्राज के कारण वादी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा पा रहा, भूमि का विनिमय/विक्रय नहीं कर पा रहा, बैंक ऋण से वंचित है। अतः न्यायालय द्वारा दुरूस्ती इन्द्राज आवश्यक है।

6. प्रतिवादी की स्थिति
प्रतिवादी राज्य सरकार है। राज्य ने वादी के कब्जे का खंडन नहीं किया और न ही यह सिद्ध किया कि भूमि सरकारी है। अतः वादी के दीर्घकालीन कब्जे व दस्तावेजी साक्ष्य अप्रतिवादित हैं।

7. न्यायिक सिद्धांत
राजस्व कानून का स्थापित सिद्धांत है –
"दीर्घकालीन, शांतिपूर्ण व निरंतर काश्त खातेदारी अधिकार को जन्म देती है तथा गलत जमाबन्दी प्रविष्टि अधिकार समाप्त नहीं करती।"

8. निष्कर्ष
अतः वादी ने अपना कब्जा, पूर्वजों की काश्त, राजस्व अभिलेख, तथा कानूनन अधिकार सभी सिद्ध कर दिये हैं। प्रतिवादी वादी के दावे का खण्डन करने में पूर्णतः असफल रहा है।

9. प्रार्थना– इसलिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि–
वादी उम्मेद सिंह को विवादित भूमि खसरा नं. 1, 2, 3, 32 व 33 में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। मृतक मूलचन्द व मंगतू के नाम दर्ज "गैरखातेदार/बकाश्त/शिकमी" के इन्द्राज कलमबंद (हटाये) जाएं।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जावे। न्यायालय उचित अन्य राहत भी प्रदान करे।

विवेचन

अभिलेख पर उपलब्ध वाद पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, राजस्व रिकार्ड, मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं वादी पक्ष की बहस पर विचार किया गया। वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 89 के अन्तर्गत इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज का है। वादी द्वारा विवादित आराजी ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर स्थित खसरा नं. 1, 2, 3, 32 व 33 में अपने 1/2 भाग पर खातेदारी अधिकार घोषित करने तथा राजस्व अभिलेखों में चल रहे गैरखातेदारी, बकाश्त एवं शिकमी इन्द्राजात हटाने की प्रार्थना की गई है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2015 से सम्वत 2072–75 तक की प्रतिलिपियाँ (प्रदर्श–1 से 5) तथा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–6) प्रस्तुत किये हैं। उक्त राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूलचन्द पुत्र रामनारायण एवं मंगतू पुत्र गोरधन विवादित भूमि पर जागीरदारी उन्मूलन से पूर्व से निरंतर काबिज काश्तकार अंकित रहे हैं तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादी एवं अन्य वारिसान उसी प्रकार से भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं। रिकॉर्ड में कहीं भी भूमि के कस्टोडियन अथवा वास्तविक सरकारी कब्जे का प्रमाण नहीं मिलता।

राजस्व अभिलेखों में, "बकाश्त" व "शिकमी" की प्रविष्टियाँ मात्र अभिलेखीय त्रुटि प्रतीत होती हैं, क्योंकि दीर्घकालीन, शांतिपूर्ण एवं निरंतर काश्त का तथ्य दस्तावेजों से प्रमाणित है तथा प्रतिवादी राज्य द्वारा वादी के कब्जे का प्रभावी खण्डन नहीं किया गया है।

कानूनी स्थिति यह है कि जो व्यक्ति जागीर उन्मूलन से पूर्व से भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा हो, वह कानूनन खातेदार काश्तकार का अधिकार प्राप्त कर लेता है तथा गलत राजस्व प्रविष्टि से उसके वास्तविक अधिकार समाप्त नहीं होते। अतः वादी का दीर्घकालीन कब्जा एवं काश्त सिद्ध होने से उसके खातेदारी अधिकार सृजित होना प्रमाणित है।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी विवादित भूमि में अपने 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अधिकारी है तथा राजस्व अभिलेखों में मृतक मूलचन्द पुत्र रामनारायण एवं मंगतू पुत्र गोरधन के नाम दर्ज बकाश्त/शिकमी प्रविष्टियाँ हटाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज, राजस्व अभिलेख, मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं पक्षकारों की बहस पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किया जाता है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

धारा 88 व 89 अन्तर्गत इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाता है।

यह घोषित किया जाता है कि ग्राम भोजपुरी, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0 स्थित विवादित आराजी खसरा नं. 1 रकबा 0.96 है, 2 रकबा 0.01 है, 3 रकबा 0.89 है, 32 रकबा 0.18 है, 33 रकबा 0.57 है, में वादी उम्मेद सिंह पुत्र मूलचन्द 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के मुताबिक गणना कर वादी द्वारा राशी को राजकोष में जमा करवाने उपरान्त खातेदार का अमल अभिलेख में किया जावें।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज मृतक मूलचन्द पुत्र रामनारायण एवं मंगतू पुत्र गोरधन के नाम से अंकित "गैरखातेदार", "बकाश्त" एवं "शिकमी" की प्रविष्टियाँ कलमबन्द कर राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी/खसरा) दुरूस्त किया जावे। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे। डिक्री तैयार की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
44/2022	21.03.2022	17.02.2026

बउनवान

1. उम्मेद सिंह पुत्र श्री मूलचन्द जाति अहीर निवासी भोजपुरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री बस्तीराम यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 17.2.2026** को **श्री सृष्टि जैन, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी की जाती है :–

यह घोषित किया जाता है कि ग्राम भोजपुरी, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0 स्थित विवादित आराजी खसरा नं. 1 रकबा 0.96 हे, 2 रकबा 0.01 हे, 3 रकबा 0.89 हे, 32 रकबा 0.18 हे, 33 रकबा 0.57 हे, में वादी उम्मेद सिंह पुत्र मूलचन्द 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के मुताबिक गणना कर वादी द्वारा राशी को राजकोष में जमा करवाने उपरान्त खातेदार का अमल अभिलेख में किया जावें।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज मृतक मूलचन्द पुत्र रामनारायण एवं मंगतू पुत्र गोरधन के नाम से अंकित "गैरखातेदार", "बकाश्त" एवं "शिकमी" की प्रविष्टियाँ कलमबन्द कर राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी/खसरा) दुरूस्त किया जावे। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0